(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

अपील संख्या –25/2025 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. मोतीराम
2. भोला

पिसरान रामचन्द निवासी सिघांवली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रूपवास मिसिल नम्बर 02/2025 दिनांक 15.04.2025 उनवानी रिपोर्ट सरकार बनाम मोती वगै0।

उपस्थितः–

1–श्री सत्येन्द्र कुमार एड0 अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 22.01.2026

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार रूपवास के आदेश 15.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील में तहत अदालत का जैर अपील आदेश दिनांक 15.4.2025 में अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 671/2.35 में से 252 वर्गफुट किस्म गै0मु0पहाड बाके ग्राम सिघावली तहसील रूपवास पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर उक्त आराजी से बेदखली से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार रूपवास से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्य विरूद्व है। आराजी खसरा नम्बरान आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 2.35 है0 गै0मु0 पहाड है जिसके चपेटमा आबादी की भूमि है तथा मौके पर खसरा नम्बर 671 के बगल वाील भूमि आबादी के काम आ रही है। उपरोक्त आराजी आबादी भूमि के अपीलांटान को अपने पिता के जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद से ही पुश्तैनी भूमि पर काबिज चले आ रहे है, मौके पर 50 सालों से पक्का कमरा बना हुआ है तथा शेष खाली जगह अपीलांट के उठने बैठने के काम आ रही है। विवादित आराजी पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अतिक्रमण नही है तथा नोटिस में जिस 252 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण दर्शाया गया है वह खसरा नम्बर 671 ए की न होकर आबादी की भूमि है। अपीलांट की पुश्तैनी कमरे और आस पास की भूमि पर राज्य सरकार का कोई लेना देना नही है। आराजी खसरा नम्बर 671 काफी बडा नम्बर है तथा मौके पर कोई सीमांकन भी नही है। गांव के कुछ भूमाफिया किस्म के लोगो ने गरीब व अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपीलांट से साज की है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.4.2025 की जानकारी दिनांक 12.6.2025 को हुई तथा नकल दिनांक 16.6.2025 को मिली। अतः अपील अन्दर म्याद है, परंतु डिले को कन्डौन करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 पृथक से संलग्न है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में बिजली के बिल की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.4.25 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.4.2025 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है, साथ ही मान0 न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय की पालना में अप्रार्थी को सुनवाई करते हुये जबाब पेश किया गया और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का गहनता से अवलोकन किया तथा सबंधित पटवारी हल्का से रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.4.2025 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि–

> ^^Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants^^

तथा आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

^^ Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal^^

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित पाते है। तहत पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(7)

खसरा नम्बर 671 रकबा 2.35 है0 में से 252 वर्गफीट गै0मु0पहाड पर पक्का निर्माण एक बडा कमरा बनाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का संवत् 2081 में की गई है जो तहत अदालत ने अतिक्रमी अपीलांट को बेदखल करने व शास्ती राशि 0.02 रू0 50 गुनी पैनल्टी 100/—रू0 से दण्डित किया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को जबाब/साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया व अपीलान्ट ने भी अपने जबाब में उल्लेख किया है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी का पुश्तैनी रूप से काबिज है तथा उक्त कमरा करीब 50 वर्षो से बना हुआ है जिसमें पहले हमारे पिता रहते थे और अब हम अप्रार्थीगण रह रहे है तथा उसके आस पास की जमीन उठने बैठने के काम आने का उल्लेख किया गया है। पटवारी हल्का ने जान बूझकर आराजी की प्रकृति का अंकन नही किया गया है और बिना राजस्व रिकार्ड के परीक्षण किये ही अवैधानिक कार्यवाही कराई गई है। तहत न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा तहत पत्रावली में बिजली बिल के अलावा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे अपनी खातेदारी का रकबा सिद्व हो सके साथ ही प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं विरासत के सबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है। तहत न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है और प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के अनुरूप विधिवत् सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी की किस्म गै0मु0पहाड होने से समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। उक्त विवेचन से अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही पाई जाती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि——

अपील अपीलांट उपरोक्त विवेचनानुसार आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 15.04.2025 तहसीलदार रूपवास में कोई विधिकत्रुटि नही होने के कारण यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत पत्रावली के साथ तहसीलदार रूपवास को सूचनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नंबर से कम होकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर